न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— सुश्री सीमा मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थना पत्र संख्याः—131/प्रा0पत्र/2022 (GCMS NO.2022/247) दायरा दिनांक :— 05.07.2022

1. रामेश्वर आ0 नन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम नन्दगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. भंवर लाल आ0 रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम नन्दगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार साहब तहसील नैनवां, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— धारा 251 'क' आर.टी.एक्ट.

वकील प्रार्थीः— श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी

वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :— 30.01.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नन्दगांव लाम्बाबर्डा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 208 पुराना 205 के अनुसार खसरा संख्या 561/732 रकबा 0.9627 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि स्थित है। यह कि ग्राम नन्दगांव पटवार मण्डल लाम्बाबर्डा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 1 पुराना 1 के अनुसार खसरा संख्या 556 रकबा 3.5839 हैक्टयर किस्म बंजड राजकीय सिवायचक भूमि स्थित है। यह कि ग्राम नन्दगांव पटवार मण्डल लाम्बाबर्डा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 104 पुराना 111 के अनुसार खसरा संख्या 864/556 रकबा 0.4854 हैक्टयर किस्म बंजड भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 561/732 में जाने का एक मात्र रास्ता जेतपुर से गुढासदावर्तिया जाने वाली आम सडक खसरा संख्या 556/722 के दक्षिण ओर स्थित वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 864/556 की भूमि में होता हुआ नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित रास्ते से आता जाता है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने का नहीं है। मौके का नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" साथ में संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में जाने वाले उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने हेतु प्रार्थी ने कही बार प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को दिये लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नही हुई गत आठ दिन पहले प्रार्थी ने अप्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा करवाकर रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी की भूमि पर जाने के रास्ते के अंकन से साफ इंकार कर दिया। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार रामेश्वर द्वारा ग्राम नन्दगांव के खसरा संख्या 561/732 के लगवा सिवायचक खसरा संख्या 561/730 में पहुंचने हेतु खसरा संख्या 556 (वर्तमान 925/556) व 864/556 में से होकर रास्ता चाहा गया है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा में दर्ज नही है। यह कि प्रार्थी द्वारा बताया गया कि वह शुरू से ही चाहे गये रास्ते ही अपनी खातेदारी भूमि में आता जाता रहा है तथा प्रार्थी द्वारा परिशिष्ट "अ" के अनुसार जो रास्ता चाहा गया है वह निकटतम है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। यह कि चाहे गये रास्ते का विवरण इस प्रकार है—

(चाहे गये रास्ते का ब्योरा)

ख0न0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	चौडाई	क्षैत्रफल
925/556	सिवायचक (सरकारी)	बंजड	6 गट्ठा अर्थात 40 फीट	6 गट्ठा 25 फीट	24 वर्ग गट्ठा 1000 वर्गफीट अर्थात 0.0093 हैक्ट.

ख0न0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	चौडाई	क्षैत्रफल
864/556	भंवरलाल (सरकारी)	बंजड	19 गट्ठा अर्थात 125 फीट	4 गट्ठा 25 फीट	76 वर्ग गट्ठा 3125 वर्गफीट अर्थात 0.0290 हैक्ट.

कुल क्षैत्रफल — 100 वर्गगट्ठा या 4125 वर्गफीट या 383 वर्गमीटर या 0.0383 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है तथा प्रस्तावित किया गया रास्ता निकटतम है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वास्ते रास्ता दिये जाने बाबत् स्वीकार किया जाता है।

ग्राम नन्दगांव लाम्बाबर्डा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 208 पुराना 205 के अनुसार खसरा संख्या 561/732 रकबा 0.9627 हैक्टयर पर पहुंचने हेतु खसरा संख्या 556 (वर्तमान 925/556) व 864/556 में से तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित लम्बाई एवं चौडाई का रास्ता, जिसे प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

(सीमा मीणा)
आर0ए0एस(प्रशिक्षु)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

नकल नक्शा ईश

नन्दगांव

तहसील - नैनवां

जिला - बून्दी (राज.)

परिशिष्ट - "क"

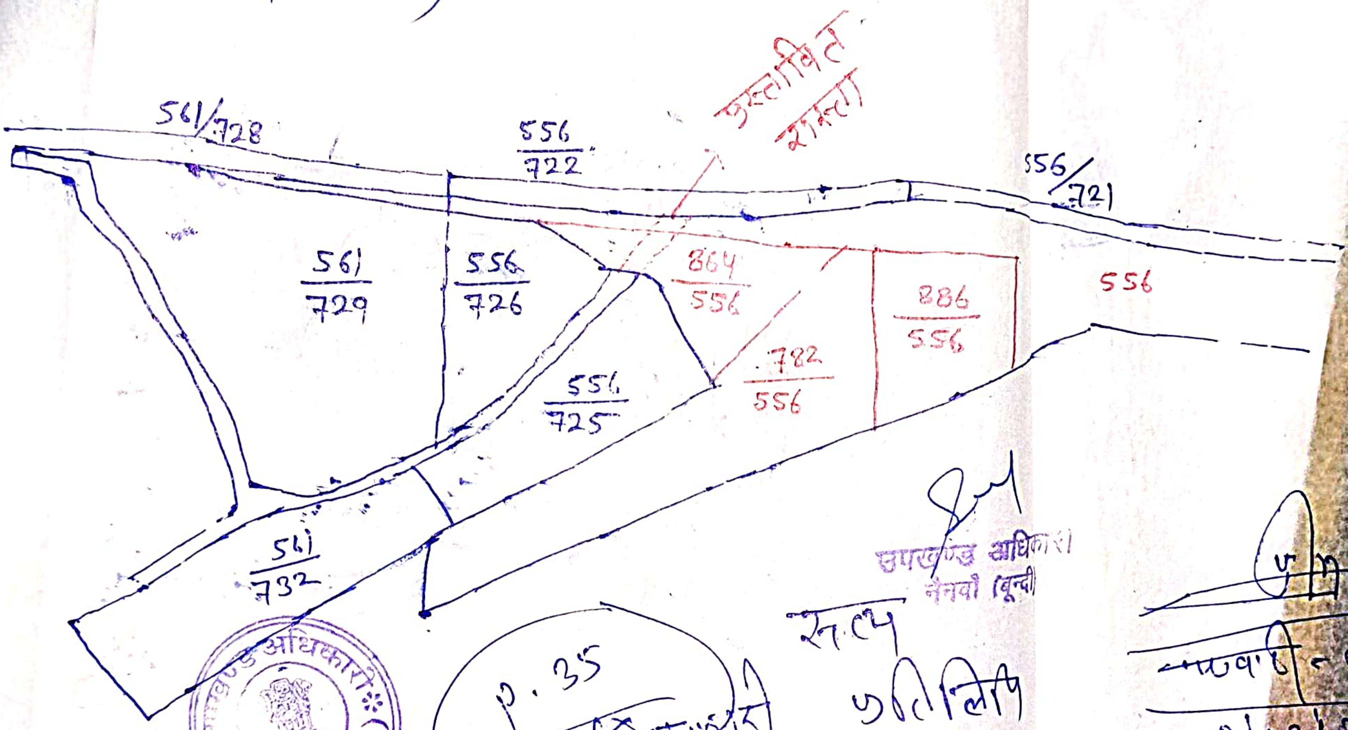

7.35 राजमार्ग हेतु जारी

स.प्र

प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

पटवारी - [illegible]

13/02/2024

पटवारी मण्डल ... नैनवां जिला (बून्दी)